

1487

पत्रांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-04/2021 (खंड)/85(आप) पं०रा०
बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

किशोर कुमार
संयुक्त सचिव

सेवा में,

उप सचिव-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 27/2/25

विषय : वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 80(स्वी०) दिनांक 27.02.2025 द्वारा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत भारत सरकार से प्राप्त Untied अनुदान की प्रथम किस्त अवशेष एवं द्वितीय किस्त में से क्रमशः ₹47.9339 करोड़ + ₹821.8021 करोड़ = ₹869.7360 करोड़ (आठ अरब उनहत्तर करोड़ तिहत्तर लाख साठ हजार रुपये) मात्र की स्वीकृत राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 80(स्वी०) दिनांक 27.02.2025 द्वारा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत भारत सरकार से प्राप्त Untied अनुदान की प्रथम किस्त अवशेष एवं द्वितीय किस्त में से क्रमशः ₹47.9339 करोड़ + ₹821.8021 करोड़ = ₹869.7360 करोड़ (आठ अरब उनहत्तर करोड़ तिहत्तर लाख साठ हजार रुपये) मात्र की राशि को उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी-1 के अनुरूप 8052 ग्राम पंचायतों को, विवरणी-2 के अनुरूप 530 पंचायत समितियों को, विवरणी-3 के अनुरूप 38 जिला परिषदों को वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान गई है।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत भारत सरकार से प्राप्त Untied अनुदान की प्रथम किस्त की अवशेष देय ₹47,93,39,000.00 रुपये एवं द्वितीय किस्त की ₹8,21,80,21,000.00 रुपये (आठ अरब इक्कीस करोड़ अस्सी लाख इक्कीस हजार रुपये) मात्र की राशि अर्थात् कुल ₹8,69,73,60,000.00 रुपये (आठ अरब उनहत्तर करोड़ तिहत्तर लाख साठ हजार रुपये) मात्र की राशि को उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी-1 के अनुरूप 8052 ग्राम पंचायतों को, विवरणी-2 के अनुरूप 530 पंचायत समितियों को, विवरणी-3

बि०

मगाता

५

1486

के अनुरूप 38 जिला परिषदों को मांग संख्या-16 के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत संबंधित बजट शीर्षों से निम्नरूपेण आवंटित की जाती है :-

राशि रुपये में

क्र०	PRIs	योजना शीर्ष	Untied Grant
i	ग्राम पंचायत	"मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0001-पंचायत राज संस्थाओं को सहायता। विषय शीर्ष-0001.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन विपत्र कोड-16-2515001980001	₹6100912896.00
ii	पंचायत समिति	"मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0001-पंचायत राज संस्थाओं को सहायता। विषय शीर्ष-0001.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन विपत्र कोड-16-2515001970001	₹1288849404.00
iii	जिला परिषद्	"मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0003-पंचायत राज संस्थाओं को सहायता। विषय शीर्ष-0003.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन विपत्र कोड-16-2515001960003	₹1307597700.00
कुल (आठ अरब उनहत्तर करोड़ तिहत्तर लाख साठ हजार रुपये) मात्र			₹8697360000.00

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से CFMS एवं PFMS Treasury Integration के माध्यम से विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 80(स्वी०) दिनांक 27.02.2025 के साथ संलग्न विवरणी-1 के अनुरूप 8052 ग्राम पंचायतों को, विवरणी-2 के अनुरूप 530 पंचायत समितियों को, विवरणी-3 के अनुरूप 38 जिला परिषदों को Untied अनुदान की प्रथम किस्त की अवशेष एवं द्वितीय किस्त की आवंटित राशि को ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के संबंधित बैंक खातों में अंतरित करेंगे।

4. 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत भारत सरकार से प्राप्त Untied अनुदान की राशि को राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों) के बीच वितरित किये जाने के क्रम में यदि कोई त्रुटिपूर्ण (कम/अधिक) वितरण होता है, तो इस त्रुटिपूर्ण राशि का समायोजन आगामी किस्तों में वितरित की जाने वाली राशि में से किया जा सकेगा।

B.2

मजराकर

6

1485

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 214 दिनांक 06.03.2024 एवं 730 दिनांक 09.12.2024 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
6. इस आवंटित राशि का उपयोग विभागीय राज्यादेश संख्या 27(रा०) दिनांक 13.09.2021, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 15(2)FC-XV/FCD/2020-25 दिनांक 14.07.2021 एवं विभागीय पत्रांक 15132 दिनांक 21.11.2023 में निहित अनुदेशों के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जायेगा।
7. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
9. जिला पंचायत राज पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे अपने जिला के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को स्वीकृत एवं आवंटित अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे।
10. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।
12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-04/2021 (खंड) के पृष्ठ संख्या 4.2/टि० पर दिनांक 27.04.2025 को प्राप्त है।
13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

27/2/25
(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव
27/2

1484

ज्ञापांक :5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-04/2021 (खंड) 85(अ) पं०रा०, पटना, दिनांक 27/2/25
प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला
पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार,
पटना/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/प्रभारी
पदाधिकारी-03, 06 एवं 07(उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग), पंचायती राज विभाग,
बिहार, पटनाको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-04/2021 (खंड) 85(अ) पं०रा० पटना, दिनांक 27/2/25
प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-04/2021 (खंड) 85(अ) पं०रा० पटना, दिनांक 27/2/25
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव
B.12